

शैक्षिक सत्र 2014-15 में  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनके सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में  
बी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्देशिका

अनुक्रम

	पृष्ठ संख्या
1.अर्हता	2
2.महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
3.महत्वपूर्ण निर्देश	3
4.ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया	4
5.ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश	6-8
6.आरक्षण	9-10
7.प्रवेश / काउन्सिलिंग	11
8.प्रवेश परीक्षा प्रारूप/ प्रवेश पत्र	12
9.परिशिष्ट - 1 अतिरिक्त अंक	13-14
10. परिशिष्ट - 2 विश्वविद्यालय का नाम	15
11. परिशिष्ट - 3 प्रस्तावित शहरो की सूची जहां परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है	16
12. परिशिष्ट - 4 प्रस्तावित काउन्सिलिंग केन्द्रों की सूची	17
13. प्रमाण पत्रों के प्रारूप	18-27
14. सम्पर्क सूत्र	28

**शैक्षिक सत्र 2014-15 में  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनके सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में  
बी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता**

बी.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है -

1. ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2014 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।
2. सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण।
4. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर पांच प्रतिशत छूट दी जायेगी।
5. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षाशास्त्री (बी. एड.) में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है -  
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 2013 तक या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 2013 तक तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक।

**आयोजक विश्वविद्यालय: बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झांसी**

**अति महत्वपूर्ण** - संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी. एड. -2014 में सम्मिलित होने हेतु आवेदन <https://upbed.nic.in> वेबसाइट पर आनलाइन किया जा सकता है।

**बी.एड. प्रवेश परीक्षा - 2014 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां**

1. ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अन्तिम तिथि - 27.03.2014(गुरुवार)
2. परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि - 29.03.2014(शनिवार)
3. सम्पूरित आवेदन पत्र ऑन लाईन जमा(submit) करने की अन्तिम तिथि - 31.03.2014(सोमवार)
4. सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति स्पीडपोस्ट/ पंजीकृत डाक से पहुंचने की अन्तिम तिथि\* - 07.04.2014(सोमवार)
5. प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि - 20.05.2014(मंगलवार)

\* सम्पूरित आवेदन पत्र समन्वयक, राज्य स्तरीय संयुक्त बी. एड. प्रवेश परीक्षा 2014-15, पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन संस्थान, आई.टी.एच.एम. भवन बुन्देलखण्ड विष्वविद्यालय में स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक से अप्रैल 7, 2014 सायं 5:00 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। अन्तिम तिथि के पश्चात तथा अन्य माध्यमों से प्रेषित फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

#### महत्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता सम्बन्धी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें जो वेबसाइट <https://upbed.nic.in> पर उपलब्ध हैं।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) करने के उपरान्त प्रविष्टियों में संशोधन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है।
3. अर्हता हेतु किसी भी त्रुटि के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी तरह वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी।
4. आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अतिरिक्त अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को समस्त प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग तथा महाविद्यालय में प्रवेश के समय मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. समस्त अभ्यर्थी भरे हुये आनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट की छायाप्रति एवं उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

6. आनलाइन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना **नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो** (Front face) 35mmx45mm आकार में तथा **हस्ताक्षर अपलोड करना** अनिवार्य है। फोटोग्राफ अधिकतम 20 KB तथा हस्ताक्षर अधिकतम 10 KB की कम्प्यूटर फाईल (jpg format) होगी। साथ ही साथ आनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट पर भी निर्धारित स्थान पर वही फोटोग्राफ लगाना एवं अपना एवं पिता / संरक्षक का निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी बायें हाथ का अंगूठा लगाने में असमर्थ है तो केवल दायें हाथ का अंगूठे का प्रयोग करें। ऐसा न होने पर आवेदन पत्र/ अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7. प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कम्प्यूटर जनित 09 अंकों की एक संख्या अंकित है जो कि पंजीकरण संख्या है। जिसे बी.एड. प्रवेश हेतु भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सभी पत्राचार निम्न पते पर किया जायेगा **समन्वयक,**

**संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी. एड. - 2014,**

**पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन संस्थान, I.T.H.M. भवन**

**बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झांसी-284128**

8. आनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया के चतुर्थ चरण के अनुसार आवेदन पत्र पूरित करने के उपरान्त आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को अभ्यर्थी उसे समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी. एड. - 2014, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी - 284128 के कार्यालय को **स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक** से इस प्रकार भेजे कि दिनांक 18 मार्च 2014 तक प्रत्येक स्थिति में प्राप्त हो जाये। कोरियर से प्रेषित किये गये आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

## ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया

**नोट-** ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी सुविधा हेतु डमी फार्म वेबसाइट <https://upbed.nic.in> के 'आनलाइन रजिस्ट्रेशन' (Online Registration) लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चार चरणों में सम्पन्न होगी:

प्रथम चरण	- आनलाईन पंजीकरण करना
द्वितीय चरण	- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाइन अथवा ई-चालान द्वारा शुल्क भुगतान करना
तृतीय चरण	- आवेदन पत्र को पूर्ण करना एवं उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना
चतुर्थ चरण	- आयोजक विश्वविद्यालय को पूरित आवेदन पत्र प्रेषित करना

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी. एड. - 2014 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व वेबसाइट <https://upbed.nic.in> पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़कर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा हेतु अपनी अर्हता अवश्य सुनिश्चित कर लें।

### प्रथम चरण - पंजीकरण

1. ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (Candidate Registration) लिंक पर क्लिक करें।
2. ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन की प्रविष्टियों को भरें। जहां - जहां स्टार (\*) लगा है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है।
3. अपनी प्रविष्टियों की जांच कर आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
4. सफलतापूर्वक पंजीयन होने के साथ ही आपको कम्प्यूटरजनित नौ अंकों की पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को सावधानीपूर्वक लिख लें अथवा इस पृष्ठ का प्रिन्ट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि पंजीकरण संख्या के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया सम्पादित होगी।

**नोट:** पंजीकरण स्लिप अपने आपमें आवेदन नहीं है। यह सफलतापूर्वक पंजीकरण का प्रतीक है। पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र को पूर्ण करना है।

### द्वितीय चरण - शुल्क भुगतान करना

1. शुल्क भुगतान लिंक पर क्लिक करें।
2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की payment gateway की वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन (Internet Banking/Debit Card/Credit Card) अथवा ई-चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी सी.बी.एस. शाखा में जाकर परीक्षा शुल्क जमा करें।
3. ई-चालान से भुगतान करने पर यह सुनिश्चित कर लें कि बैंक द्वारा दी गई ट्रांजेक्शन संख्या (Transaction ID) स्पष्ट है। यही ट्रांजेक्शन संख्या (Transaction ID) आपके आवेदन पत्र को पूर्ण करने में सहायक होगी।
4. ऑन लाईन माध्यम से भुगतान करने पर एन0आई0सी0 द्वारा जारी Reference Id तथा बैंक द्वारा जारी Transaction Id को सावधानीपूर्वक लिख लें।

### तृतीय चरण - आवेदन पत्र को पूर्ण करना एवं उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना

1. शुल्क जमा करने के पश्चात् 'आवेदन पत्र पूरित करें' (Submit Application Form) लिंक पर क्लिक करें। आवेदन पत्र पूरित करने के लिये अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, ट्रांजेक्शन संख्या (Transaction ID) एवं जन्म तिथि भरना होगा।
2. स्क्रीन पर मांगी गई सूचनाओं को भरने के बाद सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।

3. आवेदन पत्र को सबमिट करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटोग्राफ (Front face), jpg format में जो 20 KB से अधिक न हो तथा हस्ताक्षर jpg format जो 10 KB से अधिक न हो, को अपलोड करें।
4. अंतिम रूप से सबमिट (Submit) करने के पूर्व एक बार पुनः प्रविष्टियों को जांच कर सुनिश्चित हो लें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी गई हैं। आश्वस्त होने के उपरान्त ही सबमिट (Submit) पर क्लिक करें।
5. पूरित आवेदन पत्र का एवं पते (Address Slip) का प्रिन्ट अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्राप्त करें। (ए4 आकार के कागज में)
6. जिस फोटोग्राफ को अपलोड किया है, उसी को आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट में निर्धारित स्थान पर चिपकायें एवं निर्धारित स्थान पर अपना एवं अपने पिता / संरक्षक का हस्ताक्षर करवायें / अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगायें।

**चतुर्थ चरण - संपूरित आवेदन पत्र आयोजक विश्वविद्यालय को प्रेषित करना**

उपर्युक्त के अनुसार पूरित आवेदन पत्र तथा Online Payment Receipt की प्रति संलग्न कर ए-4 आकार के लिफाफे में रखें तथा लिफाफे पर प्रिन्ट आउट द्वारा प्राप्त Address Slip चस्पा कर दिनांक 18.03.2014 तक या उसके पूर्व केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। आवेदन पत्र के साथ अन्य कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। स्मरण रहे कि उपरोक्त अभिलेख निम्न पते पर प्रेषित किया जाना है।

**समन्वयक,  
संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी. एड. - 2014,  
पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन संस्थान, I.T.H.M. भवन  
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झांसी-284128**

## ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी सामान्य निर्देश (General Instructions for Online Application)

### 1. अभ्यर्थी का नाम (Name of Candidate)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। नाम के साथ श्री/ श्रीमती/ श्रीमान/ कुमारी/ सुश्री आदि सम्बोधन सूचक शब्द नहीं भरें।

### 2. पिता का नाम (Father's Name)

जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार पिता का नाम भरा जाये।

### 3. लिंग (Gender)

पुरुष अभ्यर्थी, पुरुष (Male) के सम्मुख क्लिक करें तथा महिला अभ्यर्थी महिला (Female) के सम्मुख क्लिक करें। (Transgender) अन्य पर क्लिक करें।

### 4. जन्म तिथि (Date of Birth)

हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। जन्मतिथि के DD/MM/YYYY रूप में होगा।

### 5. श्रेणी (Category)

अभ्यर्थी जिस श्रेणी का हो उसके सम्मुख क्लिक करें।

सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (General/ OBC/ SC/ST) अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का निर्धारित प्रमाण पत्र धारित करता है तो अपने वर्ग के सम्मुख क्लिक करें। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग पर क्लिक न करें बल्कि सामान्य के सम्मुख क्लिक करें।

### 6. दृष्टिबाधित (Blind)

यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता है तो हां (Yes) के सम्मुख क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एतदर्थ बोर्ड द्वारा निर्गत निर्धारित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

### 7. वैवाहिक स्थिति (Marital Status)

अभ्यर्थी वैवाहिक स्थिति के लिये हां/ नहीं (Yes/No) का चयन करें।

#### 8. स्नातक परीक्षा विवरण (Details of Graduation)

अभ्यर्थी स्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः आ जायेगा।

#### 9. परास्नातक परीक्षा विवरण (Details of Post Graduation)

अभ्यर्थी स्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथास्थान भरें। प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः आ जायेगा।

#### 10. स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में संस्कृत विषयों की सूचना (Graduation with Sanskrit Subject)

अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर तीनों वर्षों में संस्कृत विषय पढ़ा है तो हां (Yes) को क्लिक करें और यदि नहीं पढ़ा है तो नहीं (No) को क्लिक करें।

#### 11. प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प (City Options for Entrance Exam)

अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा हेतु तीन शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा (परिशिष्ट -3 देखें)। बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झांसी द्वारा परीक्षा केन्द्रों का आवंटन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र अभ्यर्थी को स्वीकार करना होगा।

परीक्षा केन्द्र परिवर्तन की प्रार्थना किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

#### 12. प्रथम पत्र (Paper - I)

प्रथम प्रश्नपत्र के खण्ड - ब में यदि हिन्दी भाषा के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हिन्दी का चयन करें अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो अंग्रेजी का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)।

#### 13. द्वितीय प्रश्नपत्र (Paper - II)

अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करें। (प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें)

#### 14. माता का नाम (Mother's Name)

जिस प्रकार कमांक -1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उन्हीं निर्देशों के अनुसार माता का नाम भरा जाये।



### 15. धर्म (Religion)

अभ्यर्थी अपने धर्म का चयन करें।

### 16. उप-श्रेणी (Sub-Category)

यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रति रक्षा कर्मचारी आश्रित या विकलांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है तो सम्बन्धित श्रेणी का चयन करें। सम्बन्धित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

### 17. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (Domicile of U P)

यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हां (Yes) का चयन करें अन्यथा नहीं (No) का चयन करें। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी न होने की दशा में अभ्यर्थी का विवरण पुस्तिका में दिये गये प्रमाण पत्र - 11 के प्रारूप के अनुसार प्रवेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

### 18. राष्ट्रियता (Nationality)

अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रियता का चयन करें।

### 19. परिवार की कुल वार्षिक आय (Annual Income of The Family)

अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय का उल्लेख करें।

### 20. फोटो (Photograph)

अभ्यर्थी अधिकतम 20 KB रंगीन अभिमुख फोटो (Coloured and Front Face Photograph) अपलोड करें और उसी फोटो को आवेदन पत्र प्रिन्ट आउट लेने के पश्चात निर्धारित स्थान पर चिपकायें। फोटो स्पष्ट और नवीनतम होना चाहिये।

### 21. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (Signature of Candidate)

अभ्यर्थी अधिकतम 10 KB की स्कैन की हुई अपने हस्ताक्षर फाइल अपलोड करें। आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेने के पश्चात वही हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर करें।

### 22. पत्र व्यवहार का पूरा पता (Complete Mailing Address)

पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम एवं सम्पूर्ण पता भरें।

### 23. पिन कोड (Pin Code)

अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिये गये पते से सम्बन्धित पिन कोड नम्बर को भरें।

### 24. फोन नम्बर एस.टी.डी. कोड सहित (Telephone No. with STD Code)

अभ्यर्थी अपने फोन नम्बर को एस.टी.डी. कोड के साथ भरेंगे। उदाहरण के लिये झांसी के किसी अभ्यर्थी के द्वारा फोन नम्बर निम्न प्रकार भरा जायेगा- 0510 2320496

### 25. मोबाइल नम्बर (Mobile Number)

अभ्यर्थी अपना 10 अंकों का मोबाइल नम्बर भरें।

### 26. अर्हता परीक्षा का विश्वविद्यालय (University of Qualification Exam)

अभ्यर्थी बी. एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जिस विश्वविद्यालय की उपाधि (स्नातक/ परास्नातक) से अर्हता धारण करते हों उस विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश में स्थिति होने / न होने (Yes/No) का चयन करें।

### 27. अतिरिक्त अंकों हेतु मांग (Weightage Claimed)

अ- अभ्यर्थी भारांक की अर्हता के लिये परिशिष्ट संख्या 1 को सावधानीपूर्वक देखें।

ब- उसके अनुसार परिशिष्ट 1 में श्रेणी ए से एफ तक के नीचे उस कोड के अंतर्गत मांगे गये भारांक को भरें तथा सम्बन्धित श्रेणियों का चयन करें।

### 28. घोषणा (Declaration)

अभ्यर्थी घोषणाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा निर्देशों का पालन करें।

**नोट:-** ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वहीं फोटोग्राफ लगायें जिसे उन्होंने अपलोड किया है तथा निर्धारित स्थान पर उसी तरह अपना हस्ताक्षर करेंगे जिस तरह का हस्ताक्षर उन्होंने अपलोड किया है। साथ ही साथ यथा स्थान पिता/ संरक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है तथा निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपने बांये हाथ के अंगूठे का निशान/ बांये हाथ का अंगूठा न होने पर केवल दायें हाथ के अंगूठे का निशान लगायें।

## आरक्षण

A) ऊर्ध्वाधर (Vertical) : प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/शासनादेश अनुसार देय होगा।

B) क्षैतिज (Horizontal) : शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 03 प्रतिशत आरक्षण (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता) देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। 30 प्र0 के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा 30 प्र0 में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

### नोट :-

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।
2. यदि उक्त कम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्ति को भरने के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।
3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

C) नेत्रहीन अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक (Writer) लाने की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुति लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इनके समकक्ष से अधिक न हो।

D) अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

E) केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित / अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। विवाहित महिला अभ्यर्थियों के पति के नाम पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

**टिप्पणी :** काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो भी अधिसूचना/शासनादेश निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाकार तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।

## प्रवेश/काउन्सिलिंग

1. काउन्सिलिंग प्रक्रिया बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, आयोजक विश्वविद्यालय बी०एड० प्रवेश परीक्षा 2014-15 द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर ही होगी।
2. प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों के शहरों की सूची परिशिष्ट-3, एवं प्रस्तावित काउंसलिंग केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।
3. किसी भी महाविद्यालय की सम्बद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दिये जाने की स्थिति में अथवा अनुमन्य अस्थायी सम्बद्धता का विस्तारण न हो पाने की स्थिति में ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इस हेतु आवेदक अथवा संबन्धित महाविद्यालय का किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। बी.एड. महाविद्यालयों की अनन्तिम सूची पृथक से वेबसाइट पर जारी की जायेगी। बी.एड. महाविद्यालयों की मुद्रित सूची काउंसलिंग हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को निर्धारित केन्द्रों पर दी जायेगी।
4. अनुसूचित जाति / जनजातियों से सम्बन्धित अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में ऐसे स्थानों की पूर्ति उ.प्र. सरकार के शासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।
5. प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी आवंटित संस्था में प्रवेश से पूर्व, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि वह चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके बच्चों में संक्रण या उनके कक्षा-शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सूचना हो अथवा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही प्रक्रिया में हो अथवा यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निष्काषित किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी का योग्यता सूची में नाम होते हुये भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित प्राचार्य का होगा, किन्तु इसके लिये सम्बन्धित प्राचार्य को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के कुलपति से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। तदोपरान्त अभ्यर्थी को प्रवेश देने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राचार्य अस्वीकार कर देंगे तथा उसकी सूचना समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड.-2014 को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।
7. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य मूल प्रमाण पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश देंगे।
8. किसी अभ्यर्थी को अन्तिम रूप में प्रवेश से अस्वीकार करने के लिये प्राचार्य को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी के कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा, उसकी सूचना समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड.-2014 को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

### समान अंक पाने की स्थिति में मेरिट सूची के निर्माण के नियम

1. यदि प्रवेश परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं तो प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्ध या सहयुक्त या उसी विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि उपर्युक्त के उपरान्त भी समान अंक आते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
2. आयोजक विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय के दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

## प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे।

### प्रश्नपत्र - प्रथम

खण्ड	विषय	कुल अंक	कुल समय
अ	सामान्य ज्ञान	200	3 घण्टे
ब	भाषा (हिन्दी / अंग्रेजी में से कोई भी)		

खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा से सम्बन्धित होगा। इस खण्ड में हिन्दी एवं अंग्रेजी के पृथक - पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिये प्रश्न हल करने होंगे।

### प्रश्नपत्र - द्वितीय

खण्ड	विषय	कुल अंक	कुल समय
अ	अभिक्षमता परीक्षण	200	3 घण्टे
ब	विषय योग्यता (कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि)		

खण्ड 'अ' सभी के लिये अनिवार्य है। खण्ड 'ब' भाषा में 4 भाग (कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि) होंगे। अभ्यर्थियों को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है।

### प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति

यद्यपि सभी पात्र अभ्यर्थियों को समय से प्रवेश पत्र निर्गत कर दिये जायेंगे फिर भी यदि किसी पात्र अभ्यर्थी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी. एड. -2014 का प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि के तीन दिन पूर्व तक प्राप्त न हो तो वह संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. -2014 की वेबसाइट <https://upbed.nic.in> पर अपनी आवेदन पत्र की पंजीकरण संख्या देकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है।

परिशिष्ट- 1

अधिभार अंकों से सम्बन्धित प्राविधान

श्रेणी	अधिभार श्रेणी का विवरण	अंक
'A'	राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	
	1. इन्डीविजुयल आइटम के अभ्यर्थी द्वारा	
	(अ) प्रथम स्थान आने पर	15
	(ब) द्वितीय स्थान आने पर	10
	(स) तृतीय स्थान आने पर	05
	2. टीम आइटम्स में	
	(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	15
	(ब) सर्वउपविजेता (स्नर्स अप) टीम का सदस्य होने पर	10
	(स) प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर	05
	3. किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्त महाविद्यालय टूर्नामेन्ट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	
(अ) सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम का सदस्य होने पर	10	
(ब) एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर	10	
'B'	नोट : 1) उपर्युक्त 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में से केवल एक ही प्रतियोगिता का लाभ दिया जायेगा अर्थात् यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम/प्रतियोगिता का लाभ देय होगा। 2) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की ही मान्य होगा। 3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
	नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी	
	1. नेशनल कैडेट कोर में (सी) प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
	या	
	2. नेशनल कैडेट कोर में (बी) प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
	या	
	3. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	1
	या	
	4. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को	10
	या	
5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05	
या		
6. स्काउट एवं गाइड्स अथवा रोवर्स/रेन्जर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15	
या		
7. स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेन्जर्स निपुण अभ्यर्थी को	10	

	या	
	8. स्काउट एवं गाइड्स का गुरुपद अथवा रोवर्स/रेन्जर्स तृतीय सौपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05
	नोट : 1) उपरोक्त 1 से 8 के अन्तर्गत आइटम्स में से केवल एक ही मद का लाभ देय होगा 2) किसी भी आइटम के लिये प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। 3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा से तात्पर्य दो सतत् शैक्षणिक सत्रों में सदस्यता से है।	
'C'	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या अविवाहित पुत्री को।	15
'D'	ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी का पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हो।	15
'E'	ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ. या एस.एस.बी. या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड्स में सेवारत हो या सेवानियुक्त, अपंग या मृत हो गये हों, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये)	15
'F'	ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)।	15
नोट :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>श्रेणी 'C' से 'F' तक के प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरणिका के अंत में दिये गये हैं। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।</li> <li>यदि किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त 'A' से 'F' तक उल्लिखित मदों में 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अधिकतम 25 अंकों का ही लाभ दिया जायेगा।</li> <li>खेदकूट/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट-गाइड/रोबर्स-रेंजर्स से सम्बन्धित अधिभार अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि से पूर्व में अर्जित किये गये हो।</li> </ol>		



परिशिष्ट -2

संयुक्त बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं उनको  
आवंटित कोड

क्रम संख्या	विश्वविद्यालयों के नाम	कोड
1.	महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	01
2.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	02
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	03
4.	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	04
5.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	05
6.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	06
7.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	07
8.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	08
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	09
10.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	10
11.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	11

परिशिष्ट -3


बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2014-15 के परीक्षा केन्द्रों के लिए  
प्रस्तावित शहरों की सूची

क्रम संख्या	शहर का नाम	कोड
1	गोण्डा	36
2	बरेली	40
3	मुरादाबाद	41
4	आगरा	42
5	अलीगढ़	43
6	मेरठ	44
7	गाजियाबाद	45
8	सहारनपुर	46
9	झांसी	47
10	जौनपुर	48
11	आजमगढ़	49
12	इलाहाबाद	50
13	लखनऊ	51
14	बाराबंकी	52
15	कानपुर	53
16	उन्नाव	54
17	सीतापुर	55
18	फर्रुखाबाद	56
19	वाराणसी	57
20	बस्ती	58
21	मिर्जापुर	59
22	फैजाबाद	60
23	गोरखपुर	61
24	ज्ञानपुर	62
25	रायबरेली	63
26	नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	64

परिशिष्ट -4

बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2014-15 के काउन्सिलिंग हेतु प्रस्तावित शहरों की सूची

S.No	Proposed List of Counseling Centres
1	AGRA
2	ALLAHABAD
3	AZAMGARGH
4	BARELLY
5	FAIZABAD
6	GORAKHPUR
7	JAUNPUR
8	JHANSI
9	KANPUR
10	LUCKNOW
11	MATHURA
12	MEERUT
13	SANTKABIRNAGAR
14	VARANASI



## प्रमाण पत्र का प्रारूप -1

(विधवा/ परित्याक्ता / तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ..... एक विधवा/ / तलाकशुदा/ परित्याक्ता महिला है। उनके पति श्री / स्वर्गीय ..... की मृत्यु अभिलेखों के अनुसार दिनांक ..... को हुई है।

दिनांक : ..... तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर

अधिकारी का नाम

- (ब) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धित न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का संलग्न करता अनिवार्य हैं।
- (स) परित्याक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिये न्यायालय में दी गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यावाही की न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।



## प्रमाण पत्र का प्रारूप -2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिये प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमति ..... के पिता/ पति एक प्रतिरक्षा अधिकारी है जिनका रैंक ..... तथा नम्बर ..... है जो कि सक्रिय सेवारत है अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया । श्री/ कु./ श्रीमति .....इनके पुत्र/ पुत्री/ पत्नी हैं।

दिनांक

आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटी सोल्जर्स

बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

अधिकारी का पूरा नाम .....



प्रमाण पत्र का प्रारूप -3

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रामाणित)

प्रामाणित किया जाता है कि श्री/कु. .... पुत्र/पुत्री.....श्री .....

निवासी गांव / शहर .....तहसील ..... जिला ..... प्रदेश .....

का जन्म ..... जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति / जनजाति ( संशोधन)

एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार / उत्तर प्रदेश शासन .....सरकार

द्वारा मान्य अनुसूचित जाति / जनजाति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी / अतिरिक्त जिला अधिकारी/ सिटी  
मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

## प्रमाण पत्र का प्रारूप -4

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कु. ....सुपुत्र / सुपुत्री श्री .....  
..... निवासी ग्राम.....तहसील .....नगर .....जिला  
.....उत्तर प्रदेश राज्य की .....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति  
उत्तर प्रदेश जोक सेवा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए  
आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची -1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कुमारी .....उक्त  
अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 ( अधिसूचना संख्या-22/16/92-का 02/1995 टी.सी. दिनांक  
08 दिसम्बर,1955 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/ श्रीमति/ कुमारी ..... तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... श्री/  
श्रीमति/कुमारी .....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी / अतिरिक्त जिला अधिकारी/ सिटी  
मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

नोट: अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग लिये जाति प्रमाण पत्र अप्रैल 01,  
2014 के पश्चात निर्गत हुआ होना आवश्यक है क्योंकि कीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले  
अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।



## प्रमाण पत्र का प्रारूप -5

(स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित पुत्र या पुत्री या पुत्र या पुत्री की अविवाहित पुत्री से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु\* .....श्री\*\*.....  
स्वतंत्रता सेनानी, निवासी .....आश्रित\*\*\* .....के .....है।

दिनांक

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी हस्ताक्षर

पद मोहर के साथ

अधिकारी का पूरा नाम

नोट : साथ में जिला अधिकारी प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं पेंशन बुक की सत्यापित फोटो प्रति भी आवश्यक संलग्न करें ।

\* यहाँ आश्रित का नाम लिखें

\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का नाम लिखा जाये।

\*\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाये।

जिलाअधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवश्यक है।

## प्रमाण पत्र का प्रारूप -6

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु./ श्रीमती.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... रैंक ..... नम्बर.....  
...., जो प्रतिरक्षा सक्रियता सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा युद्ध के समय लापता  
हो गये है।

दिनांक:.....

अधिकारी का पूरा नाम.....

आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स  
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर



## प्रमाण पत्र का प्रारूप -7

(पुलिस/पी.ए.सी./ होमगार्ड/ बी.एस.एफ./ आई.टी.बी.पी./ सी.आर.पी. विभाग  
का प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./ श्रीमती ..... के पिता / पति एक  
पुलिस / पी.ए.सी./होमगार्डस / बी.एस.एफ / आई.टी.बी.पी /सी.आर.पी विभाग में सेवारत कर्मचारी  
है जिनका रैंक ..... नम्बर ..... है / सेवारत है / थे और अपंग हो गये । उन्होंने  
सेवा से अवकाश प्राप्त किया ।

दिनांक :.....

पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर

पद की मोहर के साथ


अधिकारी का पूरा नाम

प्रमाण पत्र पत्र का प्रारूप -8

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./ श्रीमती ..... आत्मज/ आत्मजा  
..... नाम ..... तहसील .....  
नगर ..... जिला..... राज्य के / की स्थाई निवासी हैं। अतः ये दूसरे प्रान्त  
के /की श्रेणी में आते / आती हैं।

दिनांक ..... पद जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार  
पद की मोहर.....



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय जौंसी • विद्या ऽमृतमश्नुते •



## प्रमाण पत्र का प्रारूप -9

(उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित जिस जिले के माता/पिता निवासी है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./ श्रीमती ( अभ्यर्थी के पिता/ माता का नाम .....पिता / माता श्री / कु. ( अभ्यर्थी का नाम) ..... उत्तर प्रदेश के गाँव / शहर ..... जहसील ..... जिला ..... के मूल निवासी है तथा श्री/ कु.( अभ्यर्थी का नाम) ..... के माता / पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम

पद नाम

मोहर

( जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं. - 157/जीन-2003-77(II) / 83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किये जायेंगे।

## प्रमाण पत्र का प्रारूप -10

(विकलांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./ श्रीमती ..... आत्मज/ आत्मजा .....  
..... निवासी ..... निम्नांकित विकलांग रेणी में आते है/परन्तु इस  
श्रेणी मे आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना,मूक वधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त  
नही है जिनके छात्रों में संक्रमण या उनकी कक्षा शिक्षण में वाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो  
। उनकी विकलांगता अंग से सम्बन्धित है तथाविकलांगता का स्वरूप ..... प्रतिशत है।

विकलांगता की रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग
2. आंख से विकलांग

दिनांक.....

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं मुहर



## प्रमाणपत्र का प्रारूप - 11

### सामान्य निवास प्रमाणपत्र

तहसीलदार की आख्या दिनांक ..... के आधार पर एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु०/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी मकान नम्बर ..... ग्राम ..... मोहल्ला ..... तहसील ..... जनपद ..... उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं व उनका वर्तमान पता मकान नम्बर ..... ग्राम ..... मोहल्ला ..... तहसील ..... जनपद ..... उत्तर प्रदेश हैं।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक

हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी

पूरा नाम

पद नाम

मोहर

(उपजिलाधिकारी की सील)



## CONTACT US

Telephone Numbers	
B.Ed 2014-15 Information Cell	0510-2320014 0510-2320015 0510 – 2320018 0510 -2320019
Fax Numbers	0510-2321667, 2320761
E-Mail Id	bubed.2014@gmail.com
Postal Address	Institute of Tourism & Hotel Management (ITHM BUILDING), Bundelkhand University, Jhansi-284128
For further information, Kindly contact on following numbers	
Ashok Kumar Arvind Registrar State Nodal Officer	0510-2320496, 0510-2320307, 0510-2320497
Greivance Cell	0510-2320307
Website	upbed.nic.in / bujhansi.org
भमसचसपदम जपउपउपदहे दू 9८30 इ दू 7 छ	